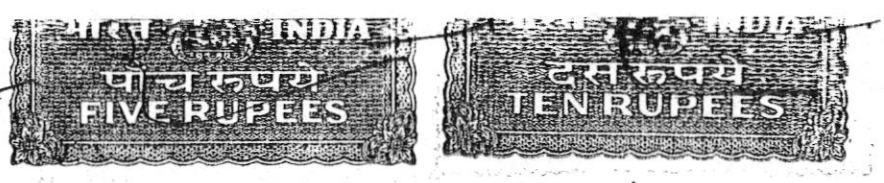

भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

C.E.R. 151

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /९९ निगरानी

R. 405-चार/99

महिला सावो पुत्री जीवनलाल पत्नी नक्टू राम, निवासी ग्राम अगरी हाल रिजोदा परगना पोहरी, जिला शिवपुरी (म०प्र०)

--- आवेदक

बनाम

(१) महिला जसोदा विधवा किशन लाल

(२) रामजीलाल पुत्र किशनलाल

(३) हजारीलाल पुत्र किशनलाल

(४) ओम प्रकाश पुत्र किशनलाल

निवासीगण अगरी तहसील पोहरी जिला शिवपुरी (म०प्र०) -- अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध आदेश श्री अपर कलेक्टर महोदय जिला शिवपुरी तारीख २६-१२-६८ अन्तर्गत धारा ५० भू०रा०सं० ।

माननीयमहोदय,

श्रीमान् जी निगरानी आवेदक निम्ना कारणों व्दारा प्रस्तुत है:-

१- यहकि, निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं विधान के विपरीत होने से तथा फाइन्डिंग परवर्स होने से निरस्त किये जाने योग्यहै।

२- यहकि, विवादित भूमि पर अनावेदकगण का नामान्तरण कर दिया गया है जिसकी जानकारी आवेदिका को जव उसे दिनांक १०-१२-६४ को अनावेदकगण ने फसल काटने से मना किया दिनांक को जानकारी होने पर आवेदिका ने दिनांकजानकारी १०-१२-६४ से अवधि भीतर श्री अनुविभागी के समक्ष अपील की थी व धारा ५ अवधि विधान का आवेदन विलम्ब क्षमा हेतु प्रस्तुतकिया था व शपथ पत्र प्रस्तुत किया था जो अनुविभागीय

--२

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 405–चार/1999 जिला–शिवपुरी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03–1–16	आवेदक के अभिभाषक श्री ए0के0 अग्रवाल उपस्थित। अनावेदक पूर्व से एकपक्षीय। 2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर कलेक्टर, शिवपुरी के प्र0क्र0 212/1997–98/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29.12.1998 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये । अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी, पोहरी द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 20.01.95 के बिन्दु क्रमांक 2 में उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा पंजी का भलीभांति परीक्षण किया और पाया गया कि एक प्रति चौपाल पर चस्पा की गई थी। मुनादीकरण का भी उल्लेख है। ग्रामीण बालू ने इसकी तस्दीक की है। अपील समय सीमा के बाहर है। सन् 1970 के बाद 10.02.94 में लम्बे अन्तराल के बाद फसल काटने का विवाद होने से जानकारी संदिग्ध होना निरूपित किया । अनुविभागीय अधिकारी ने 24 साल बाद अपील प्रस्तुत करना उचित नहीं माना है। आवेदिका ने लगभग 24 साल बाद जो अपील प्रस्तुत की है, उसमें विलम्ब का कारण दिनांक	

10.02.94 को फसल काटने के दौरान उत्पन्न हुये विवाद होने पर दिनांक 31.12.69 एवं 01.03.70 को सम्पादित नामांतरण कार्यवाही की जानकारी होना बताया है । इतनी लम्बी अवधि के पश्चात् दिनांक 10.02.94 को प्रथम बार जानकारी बताया जाना समुचित आधार नहीं कहा जा सकता है। मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 47 जो कि अपीलों की परिसीमा के विषय में है के संबंध में दिये गये न्यायदृष्टांत '' सुखदेव बनाम देवचरण 1981 रा0नि0 216 पैरा 5 दूसरे पक्ष को निहित अधिकारी, लक्ष्मीचन्द बनाम चल्लू 1978 जा0ला0जा0 245 डी0बी0 हाईकोर्ट '' जिनमें 19 वर्ष बाद अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध पारित आदेश को अत्यंत अनुचित और अवैध निरूपित किया गया है।

4/ इस प्रकरण में लगभग 24 साल बाद अपील प्रस्तुत की गई है। इतने लम्बे समय अन्तराल के बाद प्रस्तुत की गई अपील को अनुविभागीय अधिकारी, पोहरी द्वारा समयावधि बाह्य मानने में कोई त्रुटि सम्पादित किया जाना विदित नहीं होता। अतः अनुविभागीय अधिकारी, पोहरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.95 विधिसंगत होने से अपर कलेक्टर, शिवपुरी ने अपने प्र0क्र0 212/1997–98/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29.12.1998 द्वारा स्थिर रखा है।

5/ अतएव उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर, शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.12.98 न्यायासंगत व विधिनुकूल होने से यथावत रखा जाता है। फलतः आवेदक के प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से खारिज की जाती है।

निगरानी आधारहीन होने से खारिज की जाती है। आवेदक अपने स्वत्व के विषय में सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अभिलेख वापिस हो। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो ।

(एस0एस0 अली)
सदस्य